



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/2012 पुनरीक्षण

R-3463-11/12

1. जगदीश सिंह पुत्र श्री नाथूराम
2. पृथ्वी सिंह पुत्र नाथूराम (नाबालिग)
सरपरस्त पिता नाथूराम
3. मलखान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
निवासीगण कस्वा धुवारा तहसील धुवारा
जिला छतरपुर (म.प्र.)

श्री मुकेश शर्मा, आर.प्र.
द्वारा आल. दि 8-10-12 को
प्रस्तुत

[Signature]
8-10-12

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह ✓
निवासी कस्वा धुवारा तहसील धुवारा
जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल धुवारा तहसील धुवारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 16.1.12 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि -

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2- यह कि, आवेदक क्रं. 1 व 2 के स्वत्व व स्वामित्व की आराजी ख.नं. 2310/3 एवं आवेदक क्रं. 3 के स्वत्व आधिपत्य की आराजी ख.नं.

2310/1/3 ग्राम धुवारा तहसील धुवारा में स्थित है। इसी प्रकार उक्त भूमि

[Signature]

[Signature]

8/10/12

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3463-दो/2012

जिला छतरपुर

जगदीश विरूद्ध देवेन्द्र व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक धुवारा तहसील धुवारा के प्रकरण क्रमांक 2/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16-01-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य</p>